

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक-550 /11-सी-FP/UP/Others/30558/2017, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर/10, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),  
उ0प्र0 शासन,  
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:- रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 द्वारा जनपद-बाराबंकी में एम0डी0आर0 11-सी बाराबंकी-देवा मार्ग किमी0 0.000से किमी0 12.500 तक दांयी पटरी पर 0.1318 हे0 संरक्षित वनभूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्रांक-2220 /14-2-2018-800(90)/2018, दिनांक 28.08.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद ने अपने पत्रांक-972 /14-10, दिनांक-06.09.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय  
10/9

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Others/30558/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, सा0वा0, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बाराबंकी।
3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।